भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2099

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

कर्नाटक में हर खेत को पानी योजना का कार्यान्वयन

2099. कैप्टन बृजेश चौटाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दक्षिण कन्नड़ जिले के विशेष संदर्भ में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के हर खेत को पानी घटक के अंतर्गत कर्नाटक में स्वीकृत और पूर्ण की गई सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) सतही और भूजल योजनाओं के माध्यम से दक्षिण कन्नड़ जिले में सृजित या पुनर्स्थापित कुल सिंचाई क्षमता कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई सहायता राशि वर्षवार कितनी है;

(घ) हर खेत को पानी के मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) घटक के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए चयनित दक्षिण कन्नड़ जिले सहित कर्नाटक में जल निकायों की संख्या और उनके नवीनीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने हर खेत को पानी योजना के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़ में जल उपयोग दक्षता, सिंचाई कवरेज या फसल सघनता में सुधार का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का उद्देश्य खेत में पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को शुरू करना आदि है।

पीएमकेएसवाई एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, नामत: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। एचकेकेपी के अंतर्गत कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम), लघु सतह सिंचाई योजना (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) और भूजल (जीडब्ल्यू) घटक आते हैं। हालाँकि, वर्ष 2021-26 के दौरान पीएमकेएसवाई को जारी रखने

के लिए स्वीकृति प्रदान करते समय, भूजल घटक को केवल वचनबद्ध देनदारियों के लिए ही स्वीकृत किया गया था।

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक में स्वीकृत और कार्यान्वयन के तहत सिंचाई परियोजनाओं के घटक-वार विवरण के साथ-साथ सृजित सिंचाई क्षमता और जारी की गई केंद्रीय सहायता **अनुलग्नक** में दी गई है। तथापि, ये घटक कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले को कवर नहीं करते हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी-भूजल सिंचाई (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू) घटक को पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक में लागू नहीं किया गया है।

(घ): एचकेकेपी के अंतर्गत कर्नाटक में जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) के लिए कोई परियोजना स्वीकृत, कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन नहीं है।

(ङ): जी, नहीं। एचकेकेपी के अंतर्गत कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कोई भी सिंचाई परियोजना स्वीकृत, कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयनाधीन नहीं है।

*****

अनुलग्नक

"कर्नाटक में हर खेत को पानी योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 12.02.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 2099 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

कर्नाटक में पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत स्वीकृत और कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण

क्रं. सं.	**पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी का घटक**	**स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**सिंचाई के लाभ**	**जारी की गई केंद्रीय सहायता (सीए) (करोड़ रुपये में)**					
				वर्ष 2016-21 के दौरान	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**	**वर्ष 2025-26**
1.	सीएडी और डब्ल्यूएम	5 प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	कर्नाटक में 42.94 हजार हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया गया है	75.28	0	2.974	0	0	0
2.	एसएमआई	214 सतही लघु सिंचाई परियोजनाएं	कर्नाटक में 11.73 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित	-	-	30.00	37.50	37.50	111.54*

*मदर सेंक्शन

*****